D:\RSWC_ADM_AA\ADM\Peon\L_26.03.2021.doc

राजस्थान राज्य भण्डारव्यवस्था निगम

(सरकार का प्रतिष्ठान)

प्रधान कार्यालय, भवानी सिंह मार्ग, जयपुर **अतिआवश्यक**

क्रमांक : प्र.का./प्रशा./वा.का.मू./2020–21/ 4026 दिनांक : 31-3-2021

परिपत्र

कार्यालय आदेश क्रमांक 515 दिनांक 19.01.2021 के द्वारा वर्ष 2020–21 से वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्धारित प्रपत्र (परिशिष्ट–1 के अनुसार क्रम संख्या 01 से 08 तक के लिये प्रपत्र–II एवं क्रम संख्या 09 से 37 के लिये प्रपत्र III) किये गये है। जो निगम की वेबसाईट **www.agriculture.rajasthan.gov.in/rswc** पर उपलब्ध है। इस सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश निम्नानुसार हैः–

1. प्रपत्र के क्रम संख्या 1 से 07 तक एवं कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प. 4(1)का/क–3/जांच/05 दिनांक 18.11.2005 के अनुसार वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन के प्रथम एवं अन्तिम पृष्ठ की स्वयं द्वारा पूर्ति कर प्रत्येक पृष्ठ के ऊपर दायें हाथ की तरफ अपने हस्ताक्षर कर प्रतिवेदन अधिकारी को प्रस्तुत करेगें।
2. सम्बन्धित वित्तीय वर्ष जिसका वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जा रहा हैं वह प्रतिवेदक अधिकारी जिसके अधीन 90 दिवस या उससे अधिक कार्य किया है, को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें।
3. प्रतिवेदित (अधिकारी/कर्मचारी) से प्राप्त वार्षिक कार्य मूल्यंकान प्रतिवेदन को प्रतिवेदक अधिकारी अपनी टिप्पणी सहित समीक्षक अधिकारी को अधिकतम 15 दिवस में प्रेषित करना सुनिश्चित करावें।
4. प्रत्येक वर्ष इसी प्रकार नियमानुसार समस्त अधिकारी/कर्मचारी माह अप्रैल में विगत वर्ष का वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन प्रतिवेदक अधिकारी को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे।
5. कार्मिक विभाग के आदेश दिनांक 22.02.2013 के अनुसरण में सम्बन्धित कार्मिक अपने वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन का अवलोकन समीक्षक अधिकारी के हस्ताक्षर उपरांत कर सकते है।

(योगेश कुमार वर्मा)
संयुक्त निदेशक (प्रशासन)

प्रतिलिपि समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी, प्रधान कार्यालय एवं, समस्त राज्य भण्डार गृह को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

संयुक्त निदेशक (प्रशासन)